

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरालाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

तारीख हुकम	हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16-08-2018	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11-5-2017 को निर्णय पारित किया गया है तथा नकल देने में करीब 6 दिन का विलम्ब हुआ है। अपील करीब 1 माह विलम्ब से पेश हुई है, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा दफा-5 जाब्ता मयाद का आवेदन व अखण्डित शपथ पत्र पेश किया है। अतएव न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।</p> <p>प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18-1-2017 को पत्रावली में वादी अपीलान्ट द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के लिए अवसर चाहा गया था। दिनांक 15-3-2017 व आगामी तिथि 5-4-2017 के न्यायालय कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 5-4-2017 को आगामी तिथि 24-5-2017 तय की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 24-5-2017 के स्थान पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11-5-2017 को ही अपीलान्ट को सूचित किये बिना कैम्प ईसवाल पर पत्रावली रखकर अपीलान्ट की शेष साक्ष्य लिए बिना, प्रतिवादी की साक्ष्य लिए बिना एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश-20, नियम-5 जाब्ता दीवानी के उल्लंघन में बिना तनकीवार विवेचन किये तथा साक्ष्यों का मूल्यांकन किये बिना जल्दबाजी में सरसरी निर्णय पारित किया है जो तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11-05-2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18-10-2018 को उपस्थित हों।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल
श्री कालूलाल नादा निवासी कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल उदयपुर (राज0)
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने अन्य 10 व सरकार
तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत सहायक कलक्टर मु0.....
..... उदयपुर मुकाम मुखर्षे.....27..... माह02..... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 15..... माह06..... सन् 2016 रुबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री सत्य प्रकाश व्यास मिनजानिब अपीलान्त वश्री संजय बोहरा
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंगX.... रूपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरिलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.मुकाम
उदयपुर व इजलास एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेडी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य -2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेडी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालतभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारीउदयपुर मुकाम मुखर्ष.....08.....
माह07..... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25..... माह05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व
हाजरीश्री मन्नाराम डांगी मिनजानिब अपीलान्त वश्री
..... रेस्पोजेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि प्रकरण में
वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिगX.... रूपये..... Xअदा
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का X अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
 प्रकरण संख्या Ud-D- 109/2017 श्री भूरीलाल उर्फ भूरा बनाम सरकार

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रु०	पै०	रेसपोन्डेन्ट	रु०	रु०
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुक्मनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।